दिनांक–28.04.2025 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में विभाग अंतर्गत समीक्षा हेतु आयोजित SOM की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों के साथ Video Conferencing के माध्यम से क्षेत्रीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु योजनाओं में उद्व्यय का निर्धारण कर लिया गया है तथा आवंटन भी निर्गत किया गया है। निर्गत सभी आवंटित राशि का अधिकतम व्यय तीन दिनों के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अगर किसी योजना शीर्ष के बजट प्रावधान में वित्त विभाग की बंधेज सीमा 33 प्रतिशत से अधिक राशि की आवश्यकता है तो उन शीर्षों में बंधेज के शिथिलीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/बाढ़, जल संसाधन विभाग, पटना)

3. सभी मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया कि किसी भी मामले के निराकरण हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा शीघ्र निर्णय लेते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि जिन पदाधिकारियों की सेवानिवृति में कम समय बचा है, वे किसी भी मामले के निराकरण अथवा निर्णय लेने में शिथिलता नहीं बरते तथा ससमय निर्णय लेते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

(कार्रवाई– सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना)

4. वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत आवंटन से दिनांक–31.03.2025 को जिन कार्यालय द्वारा बड़ी राशि का प्रत्यर्पण हुआ है उन्हें चिन्हित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारित किया जाय।

(कार्रवाई– श्री पवन कुमार सिन्हा, अपर सचिव, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–1, जल संसाधन विभाग, पटना)

5. बिहार राज्य निर्माण निगम अंतर्गत पूर्ववर्त्ती कर्मियों के भुगतान से संबंधित मामले में EPFO कार्यालय द्वारा सहयोग नहीं करने के कारण EPFO कार्यालयों को DO Letter भेजने का निदेश दिया गया है। साथ ही EPFO कार्यालय के संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक निर्धारित करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना, उप सचिव–2, प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, पटना)

6. मुख्य मंत्री प्रगति यात्रा, 2024-25 में घोषित योजनाओं के भूमि अधिग्रहण की स्थिति के संबंध में बंगरी नदी पर तटबंध निर्माण कार्य एवं बरैला झील के विकास कार्य हेतु SIA से संबंधित पत्र चार संस्थानों से प्राप्त करने के लिए एक सहायक अभियंता को भेजा जाय।

उग्रनाथ शाखा नहर के विस्तारीकरण एवं विश्देश्वर स्थान नहर के विस्तारीकरण कार्य का रेखाकांण के संबंध में LA Plan के लिए संबंधित Consultant को मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन द्वारा अनुरोध किया गया है। निदेश दिया गया कि Consultant हेतु Timeline निर्धारित किया जाय।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/बाढ़, भूमि अधिग्रहण विशेषज्ञ,जल संसाधन विभाग, पटना)

7. मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना को SOM की आगामी बैठकों में मुख्यालय से भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना)

8. SOM से संबंधित अबतक सम्पन्न सभी बैठकों की कार्यवाही जिसका अनुपालन पूर्ण रूप से अभी तक नहीं किया गया है उसे संकलित कर उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-1, पटना को दिया गया।

(कार्रवाई– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/ कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-1, पटना)

9. बैठक की समीक्षा के क्रम में राज्यस्तरीय बैठक सिंचाई भवन के सभागार अथवा अधिवेशन भवन में दिनांक-19 एवं 20 मई को आहूत करने के लिए तिथि एवं समय निर्धारण का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना)

10. बाढ़ अवधि 2025 में Flood Fighting कार्यो का Videography कराये जाने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना)

11. पूर्व में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो तथा नदियों में आये बाढ़ से सीख लेते हुए इस वर्ष बाढ़ अवधि में कार्य कराया जाय।

(कार्रवाई– सभी मुख्य अभियंता, बाढ प्रक्षेत्र, जल संसाधन विभाग, पटना)

12. बाढ़, 2025 पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्यों के एक-एक सप्ताह के अंतराल पर स्थल निरीक्षण (Field Visit) करने हेतु उड़नदस्ता अंचल-1/2 एवं मोनिटरिंग अंचल अंतर्गत गठित टीम को निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-1/2/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)

13. बाढ़ प्रक्षेत्र के RMBA योजना के अंकेक्षित लेखा महालेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु बाढ़ मोनिटरिंग अंचल से सहायक अभियंता को महालेखाकार कार्यालय भेजने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)

14. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को राज्य योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों के विरूद्ध नियमानुसार विपत्र तैयार कर दो कार्यदिवस के अन्दर भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/-
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024 पटना, दिनांक-........................

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ।

ह0/-
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024 पटना, दिनांक-........................

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–1/PMC/बैठक/131/2024–371 पटना, दिनांक–8/5/25

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

08/5/25

मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग, पटना

ज्ञापांक–1/PMC/बैठक/131/2024–371 पटना, दिनांक–8/5/25

प्रतिलिपि :– श्री पवन कुमार सिन्हा, अपर सचिव/ उप सचिव–2 (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

08/5/25

मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग, पटना

ज्ञापांक–1/PMC/बैठक/131/2024–371 पटना, दिनांक–8/5/25

प्रतिलिपि :– सभी अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/बाढ़ नियंत्रण/ अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–1/2/ भूमि अधिग्रहण विशेषज्ञ/ कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–1, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

08/5/25

मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग, पटना

ज्ञापांक–1/PMC/बैठक/131/2024–371 पटना, दिनांक–8/5/25

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों को ई–मेल करने एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/5/25

मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग, पटना